न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 71/2019

सत्यवीरसिंह पुत्र जयदेव सिंह उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी पुनिया का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. जयदेवसिंह पुत्र भगवानाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी पुनिया का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू (दौराने दावा मृतक)
   1/1. शारदा पत्नी जयदेव जाति जाट निवासी पुनिया का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
   1/2. मोहनी पुत्री जयदेव जाति जाट पत्नी मानसिंह निवासी सारणों की ढ़ाणी तन लुणा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
   1/3. सुशीला पुत्री जयदेव जाति जाट पत्नी सुभाषचन्द्र निवासी सारणों की ढ़ाणी तन लुणा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
   1/4 सजना पुत्री जयदेव जाति जाट पत्नी सत्येन्द्र निवासी भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ

निर्णय

निर्णय दिनांक 12.04.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम दिलोई की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 270 रकबा 0.65 है0, ख0न0 271 रकबा 0.02 है0, ख0न0 272 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 273 रकबा 2.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.99 है0 भूमि अवस्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है। इस जमीन में 1/2 हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। वादी व प्रतिवादी ने अपनी पैतृक जमीन व जायदाद का आपसी सहमती व रज्जामंदी से आपस में राजीनामा कर बंटवारा कर लिया है और उसी के अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 वृद्व व्यक्ति है व श्वास का रोगी होने से काश्त का कार्य नहीं कर सकता इसलिये काश्त की भूमि अकेले वादी के हक व हिस्से में दे दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक व हिस्से की जमीन को वादी को देने की इच्छा जाहिर की तो राजीनामा के अनुसार जमीन जैर बहस अकेले वादी के नाम दर्ज करवाने तहसीलदार मलसीसर से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा दावा करने की सलाह दी गई। सलाह के देने की रोज से ही वाद कारण अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। अंत में वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को जमीन जैर बहस का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश कर राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त हो जाने से वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 के देहान्त पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किया कर संशोधित उनवान पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम पर उनके अन्य वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को वादपत्र में पक्षकार बनाया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका था। अतएव जवाब देही बंद कर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के कुल 5 वारिस रिकार्ड पर है। अतः हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानुसार प्रत्येक का समान हिस्सा अर्थात प्रत्येक को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर वाद डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की दौराने बहस किये गये कथन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम दिलोई की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 270 रकबा 0.65 है0, ख0न0 271 रकबा 0.02 है0, ख0न0 272 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 273 रकबा 2.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.99 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को संयुक्त रूप से प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 12/4/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर